न्यायालय जनपद एवं सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी।

एस.टी. नम्बर : 192/2017

सरकार बनाम रईस आदि।

आरोप

मैं, सुरेन्द्र पाल सिंह, सत्र न्यायाधीश, कौशाम्बी आप अभियुक्तगण रईस व गुडडू पर निम्नवत अपराध के लिए आरोप लगाता हूॅ :–

1, यह कि दिनांक 02.08.2013 को समय 04.30 बजे सायं स्थान बहद् ग्राम रक्सवारा, अन्तर्गत थाना करारी, जनपद कौशाम्बी में आप अभियुक्तगण ने सम्पत देवी को सामान्य आशय के अग्रसर में लाठी डण्डा से मारपीट कर गम्भीर चोटें पहुॅचायी, जिससे यदि सम्पत देवी की मृत्यु हो जाती तो आप हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के दोषी होते। इस प्रकार आप अभियुक्तगण द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 308/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

2, यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आपने सामान्य आशय के अग्रसर में सम्पत देवी, जयकरन यादव व गीतादेवी को लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया। इस प्रकार आप द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 323/34 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

3, यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को लोक शान्ति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से गाली गलौज कर अपमानित किया। इस प्रकार आप द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

4, यह कि उपरोक्त दिनांक, समय व स्थान पर आप अभियुक्तगण ने वादी मुकदमा को जान से मारने की धमकी दिया। इस प्रकार आप द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के अन्तर्गत दण्डनीय है एवं इस न्यायालय के प्रसंज्ञान में है।

एतद्द्वारा आप अभियुक्त को निर्देशित करता हूॅ कि उक्त आरोप हेतु विचारण इस न्यायालय द्वारा किया जावेगा ।

दिनांक : 03.02.2018

(सुरेन्द्र पाल सिंह),
सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।

उक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया एवं समझाया गया जिससे अभियुक्त ने इंकार किया एवं विचारण की मॉग किया।

दिनांक : 03.02.2018

(सुरेन्द्र पाल सिंह),
सत्र न्यायाधीश
कौशाम्बी।